जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 24 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 24 नवम्बर, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

25 सितम्बर के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं के संबंधों में आई तल्खी बरकरार

समन्वय समिति की बैठक में गहलोत और पायलट की ना नज़रें मिलीं ना हुआ अभिवादन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

- हुआ यूं कि, इस बैठक के लिए सुबह 11.30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए लेकिन मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद 12.30 बजे पहुँचे।
- बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही गहलोत कक्ष में पहुंचे वैसे ही, पायलट के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हुए।
- गहलोत अपनी कुर्सी के पास पहुंचे और चारों तरफ देखते हुए बैठ गए। इस दौरान पायलट ने गहलोत को देखा पर दोनों की नज़रें नहीं मिलीं।

सचिन पायलट

जयपुर, 23 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच तल्खी काफी बढ़ चुकी है। गत 23 नवंबर को जयपुर में हुई भारत जोड़ो यात्रा के संबंध मैं हुई बैठक के दौरान भी संबंधों की तल्खी स्पष्ट रूप से नजर आई।

कांग्रेस की कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों मौजूद तो रहे, लेकिन दोनों नेताओं में ना तो अभिवादन का आदान-प्रदान हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई।

हुआ यूं कि इस बैठक के लिए सुबह 11.30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए,लेकिन मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद 12.30 बजे पहुंचे।

बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही गहलोत कक्ष में पहुंचे तभी पायलट के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाथ जोड़कर गहलोत का अभिवादन किया। गहलोत अपनी कुर्सी के पास पहुंचे और चारों तरफ देखते हुए बैठ गए।

इस दौरान पायलट ने गहलोत को देखा, पर दोनों की नज़रे नहीं मिली। बैठक गहलोत के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन पायलट आधे घंटे के बाद ही चले गए।

समन्वय समिति की इस बैठक में तय किया गया है कि समन्वय समिति के सदस्य 25 नवंबर को झालावाड़ से अलवर तक के पूरे यात्रा मार्ग का जायजा लेंगे और किस तरह से यात्रा को संपन्न कराया जाए इस बारे में रणनीति तय की जाएगी। बुधवार को हुई बैठक में समिति के सभी 32 सदस्य मौजूद थे।

ई.डब्ल्यु.एस. पर कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की चुनौती

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। कांग्रेस नेता जया ठाकुर, जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव हैं, ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के 7 नवम्बर के उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये याचिका दायर कर दी, जिस फैसले में न्यायालय ने नौकरियों तथा प्रवेशों में इकॉनॉमिकली वीकर सैक्शंस (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिये 2019 में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले का अनुमोदन कर दिया गया था।

- कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की नेता जया ठाकुर ने गरीबों को आरक्षण संबंधी फैसले को पलटने की मांग करते हुए याचिका दायर की।

ज्ञातव्य है कि इस आरक्षण में एस.सी. /एस.टी. और ओ.बी.सी. श्रेणियों के गरीब लोगों को शामिल नहीं किया था।

उन्होंने पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के अल्पमत के फैसले का समर्थन करते हुये, तीन जजों के बहुमत वाले फैसले को उलटने की माँग की।

इस ऐतिहासिक महत्व के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की खंडपीठ ने कहा था कि आर्थिक न्याय प्रदान करने के सरकार के प्रयास को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र का एम.वी.ए. मॉडल, बिहार में लाना चाहती है जे.डी.यू.

एम.वी.ए. (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) गठबंधन, जिसमें शिव सेना, पवार की पार्टी व कांग्रेस भी शामिल हैं, काफी हद तक सफल रहा और महाराष्ट्र में तथा सरकार भी बनाई थी

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। महाराष्ट्र के एम.वी.ए. मॉडल को बिहार तथा उत्तर प्रदेश तक पहुँचाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि 2024 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।

इस प्रकार के प्रयास के संकेत बुधवार को उस समय मिले, जब शिव सेना (यू.बी.टी.) नेता आदित्य ठाकरे तथा पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पटना में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भेंट की तथा उसके बाद उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई। शिव सेना पिछले कुछ वर्षों से बिहार में विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही है लेकिन उसे कोई खास

- आदित्य ठाकरे व प्रियंका चतुर्वेदी, पटना में उप मु.मंत्री नीतीश कुमार से इस संदर्भ में मिले।
- नीतीश का नारा है कि, अगर गैर भाजपा पार्टियाँ संगठित होकर चुनाव लड़ें तो, भाजपा को पराजित किया जा सकता है।
- हालांकि, शिव सेना से हाथ मिलाने से नीतीश का मौलिक राजनीतिक सोच आहत होता है, पर इस दुविधा से यह कहकर निपटा जा रहा है कि, गठबंधन भाजपा को हराने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'फुटबॉल फैडरेशन, फुटबॉल के अलावा सब कुछ करती है'

अपनी इस तीखी टिप्पणी की अनुपालना करते हुए सुप्रीम कोर्ट 6 दिसम्बर के नये संविधान के बारे में सुनवाई करेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ऑल इण्डिया फुटबॉल फैडरेशन (ए.आई.एफ.एफ.) और इस खेल इकाई से संबंधित संविधान के मसौदे पर उठी आपत्तियों को लेकर दायर एक याचिका पर 6 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक बैंच ने गौर किया कि खेल इकाई को कुछ त्वरित मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, बैंच ने टिप्पणी की थी कि फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। उसने लोगों से कहा था कि वे स्पोर्ट्स नैशनल फैडरेशन के संविधान मसौदे पर न्याय मित्र को सुझाव दें। बैंच ने टिप्पणी की थी "हम फुटबॉल के अलावा सबकुछ कर रहे हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को जल्द से जल्द कराने की दृष्टि से अपने पुराने निर्णय को भी बदला, जिसके तहत तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी, फुटबॉल फैडरेशन का कामकाज देखने के लिये।

बैंच ने गत 9 नवम्बर को सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन से पूछा था कि आपत्तियों को सारणीबद्ध करने के लिए न्याय मित्र के रूप मं बैंच की सहायता कौन कर रहा है ताकि संविधान मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सके।

इससे पहले टॉप कोर्ट ने इसके द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीयी प्रशासनिक कमेटी भंग कर दी, जिनका गठन नैशनल फुटबॉल फैडरेशन के गठन के लिए किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर निलम्बन का खंडन करने की सुविधा प्रदान की। यह निलम्बन अन्तर्राष्ट्रीय फुटबॉल फैडरेशन, फीफा, ने लगाया था। इससे भारत को अण्डर-17 वीमैन्स वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन की सुविधा भी मिली।

18 मई को इसने रिटायर्ड जस्टिस अनिल आर. दवे के नेतृत्व में प्रबंध समिति गठित की जिसने पूर्व सी.ई.सी. एस.वाय. कुरैशी, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली और राजनेता प्रफुल्ल पटेल शामिल थे।

यह आदेश युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विद्युत नियामक आयोग तीन माह में विद्युत शुल्क के नियम बनाएं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। विद्युत-शुल्क तय करने में तदर्थवाद का उल्लेख करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी राज्यों के नियामक आयोगों (रेग्यूलेटरी कमीशंस) को निर्देश दिये हैं कि वे तीन माह के अन्दर, शुल्क के निर्धारण की शर्तों पर अधिनियम की धारा 181 के तहत विनिमय तैयार करें।

- सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर कम्पनी की महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सभी राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों को उक्त निर्देश दिए।

यह फैसला महाराष्ट्र इलैक्ट्रीसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन के खिलाफ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन द्वारा दायर की गई अपील को खरिज करते हुये दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नियामक आयोगों ने अधिनियम में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर काफी तीखी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आयोग में अधिकतर रिटायर्ड सरकारी अफसर नियुक्त होते हैं। सरकार इन अफसरों की जन्मतिथि से पूरी तरह वाकिफ होती है। अतः चीफ आयुक्त इस तरह नियुक्त किया जाता है कि, उसको काम करने का समय दो-ढाई साल ही मिले

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एवं अपेक्षित मान्यता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक ढाँचे या लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध राष्ट्र के संचालन के लिये दो महत्वपूर्ण पूर्व शर्तें हैं, लेकिन क्या ये दोनों हमारे देश में मौजूद है?

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ इस समय इसी प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि चार जनहित याचिकाओं के समूह ने माँग की है कि भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सुधार की सिफारिशें/अनुशंसाएं की जायें। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह केन्द्र की इस स्थिति पर प्रश्न खड़े किये कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिये कोई भी कानून नहीं है। अदालत ने इस प्रकार के कानून के अभाव को "व्याकुलता पैदा करने वाली प्रवृत्ति या स्थिति" की संज्ञा दी है।

- संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में चुप है। इस चुप्पी का लाभ लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त जल्दी-जल्दी बदल दिए जाते हैं, जिनको काम करने का लम्बा समय नहीं मिलता।
- यू.पी.ए. सरकार के दस साल के शासन में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। एन.डी.ए. सरकार के आठ साल में आठ नये-नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई।
- संविधान की इस चुप्पी का मतलब था, सरकार संसद में इसके मुतल्लिक कानून पारित करे। पर गत 72 सालों में किसी सरकार ने यह काम नहीं किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि, प्रजातंत्रीय व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिये, निष्पक्ष व जायज़ चुनाव होना जरूरी है, पर, क्या यह अपने देश में हो रहा है?

आज सुनवाई जारी रखते हुये, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियाँ एवं प्रश्न आयें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कुछ विशिष्ट फाइलों की माँग की- आयोग में 19 नम्बर को हुई अरूण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल। सुनवाई कल जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की इस संविधान पीठ ने कहा कि बैंच यह जानना चाहती है कि क्या नियुक्ति में कोई "चालबाजी" हुई थी क्योंकि उन्हें अभी हाल ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी तथा तुरन्त ही उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त कर दिया गया था।

इस याचिका-समूह की सुनवाई के दौरान, ऐक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण ने अरूण गोयल की नियुति की ही प्रक्रिया का उल्लेख किया। भूषण ने जोर देकर कहा कि गोयल, जो अभी-अभी सेवानिवृत्त हुये आई.ए.एस. अधिकारी हैं, को तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग का हिस्सा बना दिया गया। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चन्द्र पान्डे की नियुक्ति हुई थी। गत सप्ताह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में कितने पद हैं?'

जोधपुर, 23 नवम्बर (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में हलफनामा और तालिका पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में सभी श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और निश्चित रूप से यह भी बताएं कि इन पदों की संख्या कितनी है और रिक्त पदों को सरकार कब तक भर देगी। जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा की जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता रणजीत जोशी और

- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने राज्य सरकार से हलफनामा पेश कर जानकारी देने को कहा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की बात पर पायलट कैम्प के निशाने पर विजय बैंसला

पायलट ने कहा, यात्रा से भाजपा के लोग विचलित हैं, वे यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं

जयपुर, 23 नवम्बर (का.प्र.)। गुर्जर नेता विजय बैसला की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने के बयानों को लेकर पायलट खेमा मुखर हो गया है। खुद सचिन पायलट के साथ ही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और विधायक इंद्राज गुर्जर ने विजय बैंसला पर निशाना साधा है।

भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आयोजित कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक से बाहर आने पर मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने विजय बैंसला की यात्रा रोकने की धमकी पर कहा कि यह भाजपा की साजिश है और भाजपा यात्रा को रोकने के प्रयास कर सकती है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और राजस्थान में यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि यह कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। इसके जरिए लोगों से जुड़ाव होगा। पायलट ने कहा कि भाजपा यह भी कह रही थी कि दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में इसका असर नहीं होगा, लेकिन यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में शुरु हुई है और अब राजस्थान आएगी तो भाजपा का भ्रम टूट जाएगा।

पायलट ने कहा कि इस यात्रा से भाजपा के लोग विचलित हैं। वह यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं। पायलट ने विजय बैंसला की धमकी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी जब 21 सीट पर सिमट गई थी, हमें उस समय सब वर्गों का सहयोग मिला।कांग्रेस पार्टी को बहुमत सब वर्गों के सहयोग से मिला और अब हम उस बहुमत पर कैसे कारगर हों, उसकी कोशिश कर रहे हैं।

इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि अगर भाजपा को भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करना है तो खुलकर करें किसी का सहारा नहीं ले।

- इंद्राज गुर्जर ने कहा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का समाज में बहुत सम्मान है, लेकिन विजय बैंसला...।
- इंद्राज गुर्जर ने कहा कि, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैंसला ने पुष्कर में षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनके षड्यंत्र का भांडा फूट गया।
- राजेन्द्र गुढ़ा बोले, यह सचिन पायलट और गुर्जर समाज को बदनाम करने का प्रयास है, अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है।

राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी और अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान और गुर्जर समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि किसी मेहमान का विरोध किया जाए। राजस्थान में तो मेहमान नवाजी की परंपरा है। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का समाज में बहुत सम्मान है लेकिन विजय बैंसला तथाकथित गुर्जर नेता है। विजय बैंसला किसी की राजनीतिक साजिश का शिकार हैं और समाज के लोगों ने ही अब उनका विरोध किया हैं। उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की आरक्षण संघर्ष समिति और समाज के 72 युवाओं के बलिदान से समाज को आरक्षण मिला है। अगर गुर्जर आरक्षण में कोई विसंगतियां है तो विजय बैंसला को समाज के विधायकों को साथ सरकार से वार्ता करनी चाहिए, लेकिन विजय बैंसला बंद कमरे में वार्ता करके चले आते हैं।

इंद्राज गुर्जर ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैंसला ने पुष्कर में षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनके षड्यंत्र का भांडा फूट गया कि विजय बैसला किन लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। उन लोगों को समाज के विरोध के सामने भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि विजय बैंसला पिछले 2 दिन से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वह भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्हें भाजपा की बात करनी चाहिए।

इसी मामले को लेकर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पार्टी आलाकमान ने नोटिस दिए हुए हैं,उनके साथ-साथ विजय बैंसला बीजेपी के हाथों में भी खेल रहे हैं। यह सब सचिन पायलट और गुर्जर समाज को बदनाम करने की साजिश है। गुढ़ा ने कहा कि अगर विजय बैंसला के साथ सरकार ने कोई समझौता किया था तो उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय का घेराव करना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का क्या तुक हैं। राहुल गांधी कोई सरकार में नहीं है। विजय बैंसला की समस्याओं का समाधान तो केवल मुख्यमंत्री के पास है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा स्वागत किया जाएगा कि ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं हुआ होगा और यह हमारी गारंटी है कि एक पत्ता भी नहीं हिलेगा।

गुढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है और इसके लिए उनके विरोधी नेता नए-नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। विजय बैंसला को भी सामने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)